को आयोजित भारतीय श्रम सम्मेलन के 29वें सत्र में 31-12-89 को गणना तारीख मानकर सामान्य सत्यापन किए जाने का निर्णय लिया गया था। तदनुसार, सामान्य सत्यापन के संबंध में 25-1-1991 को, सत्यापन प्रक्रिया से संबंधित मामलों पर सरकार को अपनी राय देने के लिए मुख्य श्रमायुक्त (के०) की अध्यक्षता में केन्द्रीय व्यवसाय संघ संगठनों की एक स्थायी समिति गठित की गयी थी। स्थायी समिति के निर्णयानुसार 15-4-1992 तक प्राप्त दावों तथा दायर आपत्तियों को जून, 1992 में क्षेत्रीय श्रमायुक्तों (केन्द्रीय) के पास अग्रेषित किया गया था। प्रारम्भिक जांच-पड़ताल करने के पश्चात् क्षेत्रीय श्रमायुक्तों (के०) ने सामान्य सत्यापन प्रक्रिया आरम्भ की है। सत्यापन की प्रगति को समय-समय पर स्थायी समिति की बैठकों में मॉनिटर किया जाता है। समिति की सातवीं बैठक 14-1-1994 को आयोजित की गयी थी।

कोलया उद्योग में कार्यरत संघों को भी इस सामान्य सत्यापन में शामिल किया जायेगा।

भविष्य निधि अंशदान का जमा न किया जाना

*79. **श्री मोहम्मद अफजल** उर्फ **मीम अफजल**: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आज की स्थिति के अनुसार कुल कितनी कम्पनियों के विरुद्ध भविष्य निधि की राशि जमा न करवाने के लिए कार्रवाई की गई है और उनके नाम क्या हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा): 31-3-93 की स्थिति के अनुसार 10,900 ऐसे प्रतिष्ठान हैं जिन्होंने भविष्य निधि अंशदानों को जमा नहीं कराया है। भविष्य निधि अंशदानों को जमा न कराने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कानून में दी गयी व्यवस्था के अनुसार कार्रवाई की गई है। चूंकि ऐसे प्रतिष्ठानों की संख्या बहुत अधिक है अतः उनके नाम यहां नहीं दिए जा रहे हैं।

Agreement between India and China in the field of Coal Sector

*80. SHRI GHUFRAN AZAM:
SHRI VIREN J. SHAH:

Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) whether India and China have jointly set up a working group to increase the scope of bilateral cooperation in coal mining;

(b) if so, the terms of reference of the agreement;

(c) whether coal production in the country will be boosted as a result of the agreement; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRI AJIT KUMAR PANJA): (a) and (b) Yes, Sir. During the bilateral discussions held in January, 1994, both sides agreed to the cooperation between Chinese and Indian Coal Industries alongwith related manufacturing activities. A Joint Working Group on Coal has been set up for providing a formal framework in indentifying areas of cooperation as well as to review the progress made from time to time and take steps to promote mutual cooperation.

(c) and (d) In order to promote mechanisaiton of underground coal mines in India, the Chinese side have offered to supply longwall equipment and services of Chinese technicians for erection and training on competitive basis. Chinese National Coal Mining Equipment Corporation and Jessop & Co. of India have signed an agreement for manufacturing of equipment and spares in a phased manner in India. With all these measures it is expected that coal production for underground mines will increase.

Women managed branch of Super Bazar

624. SHRI DILIP SINGH JUDEV: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether the super Bazar Management propose to operate women managed branch in Connaught Place on Bangladesh Model;

(b) if so, what is the outcome of the proposal so far;

(c) what is the number of women

employees selected for the model branch alongwith details thereof; and

(d) by when a final decision is likely to be taken in this regard by the Super Bazar management?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI KAMALUDDIN AHMED): (a) No, Sir.

(b) to (d). Do not arise.

सुपर बाजार में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्त पद

625. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 30 नवम्बर, 1993 तक सुपर बाजार में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए आरक्षित क्षेणी-वार कितने पद रिक्त थे;

(ख) क्या इन रिक्त पदों को भरने के लिए कोई विशेष अभियान चलाने का विचार है और पिछले तीन वर्षों के दौरान सुपर बाजार की प्रबंध-समिति द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों की, की गई नियुक्तियों की क्षेणी-वार संख्या कितनी है तथा क्या मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर क्षेणी-वार नयी नियुक्तियों के लिए कोई प्रावधान किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इन रिक्त-पदों को कब तक भर दिया जाएगा?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद): (क) से (ग). सुपर बाजार ने सूचित किया है कि सुपर बाजार में इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई है। सुपर बाजार की प्रबंध समिति ने सुपर बाजार में कर्मचारियों की अतिरिक्त संख्या को देखते हुए विशेष रूप से तकनीकी स्वरूप को पदों के सिवाय नई भर्ती पर प्रतिबंध लगा रखा है।

Sub Standard drugs in Super Bazar

626. SHRI DILIP SINGH JUDEV: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that huge quantity of substandard and spurious drugs have been found in the stock of drugs stores and sections of the Super Bazar during the last three years;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether any enquiry has been conducted or is likely to be conducted in this regard by Government;

(d) if so, the findings thereof; and

(e) the action/measures taken by Government thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS & PUBLIC DISTRIBUTION AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI KAMALUDDIN AHMED): (a) No, Sir.

(b) to (e). Do not arise.

Alocation of essential commodities to Gujarat under PDS

627. SHRI RAJUBHAI A. PARMAR: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) what is the total supply out of the allocated quota made to the Gujarat State for distribution of sugar, edible oils, wheat and rice under Public Distribution System;

(b) what has been the prescribed quota fixed per adult in 1985 and the present quota that is being distributed to each adult in the State;

(c) the number of ration-card holders and fair price shops; and

(d) whether Government of Gujarat had urged the Central Government to